

- आदेश -

उपरोक्त-प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरुस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
सिकड़ा	84	श्रीमनाश्री पांडे	456	0.07	श्रीमनाश्री पांडे	456	0.07
		शिवराम पांडे	621	0.02	शिवराम पांडे	621	0.02
		शारदा	622	0.28	शारदा	622	0.28
			623	8.20		623	8.20
			723	0.36		723	0.36
			762	1.64		762	1.64

क्रमांक :-

198

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

12-10-21

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिवराम पांडे

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

शिवराम पांडे

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर